तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/9/17	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। सक्षम आदेश दिनांक 20.10.16 की पालना में पत्रावली वास्ते रिपोर्ट की तलबी दिनांक 29/9/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
03/11/17	पत्रावली आज पेश। वकुलाय फरीकैन उप०/P.O. वाहद ... UJ ... पत्रावली दिनांक 18.1.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
18/1/18	वकुलान उपस्थित। प्रति० की ओर से जवाब पेश किया। प्रति० 6 to 10 की तलबी RA अवमुक्त नहीं वास्ते तलबी 6 to 10 पत्रावली दिनांक 12/4/18 को पेश करें। (हस्ताक्षर)	
12/4/18	वकुलान उपस्थित। सक्षम आदेश दिनांक 20.10.16 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी 6 to 10 दिनांक 31.5.18 को पेश हो। RA तामील करावें (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	RA-777 20/4/18
31.5.18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकुलाय उप० पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। ~~बहस~~ बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया	Camp 1655 18-5-18

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	गया। दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। डिक्रीनामा [illegible] हुक्म से मिलान जावे अ०/स० किया गया। निर्णय की एक प्रति हल्का नगवी/ P3 सेतेसिंह 4/6/16 को तामील की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर सिलसिला से दाखिल दफ्तर हो। शुभम् [signature] 5 Ro ॥	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/152/16

बउनवान

1. मतेसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी रेला तहसील

--- वादी

बनाम

1. जगवीर पुत्र नारायण जाति जाट निवासी रेला
2. जगदीश पुत्र नारायण जाति जाट निवासी रेला
3. नवलसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी रेला
4. भुल्ली पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी रेला
5. नर्वदा पत्नी धर्मसिंह जाति जाट निवासी रेला
6. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कठूमर
7. बी ओ बी बैंक शाखा खेरली
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कठूमर
9. उप पंजीयक कठूमर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री रामजीलाल शर्मा – अधिवक्ता वादी

श्री तेजसिंह राठी – अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ला0 5

निर्णय

दिनांक 31.05.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 356 रकबा 1.26 हे., खसरा नम्बर 389 रकबा 1.30 हे. कुल किता 2 रकबा 2.56 हे. वाके ग्राम रेला तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी

Scanned by CamScanner

की आराजी है जो अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा कराने वावत कहा तो प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर अदालत होकर जवाव दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी अवट न होकर वंटी है मौके पर घरेलु तकासमा के मुताविक पक्षकारान के मध्य काश्त हो रही है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 5 ने इकवाल जवाव पेश कर दावा वादी के तथ्यों को स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है। दिनांक 31.05.2018 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 ने हाजिर अदालत होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है राजीनाम के साथ नजरी नक्शा पेश किया है तथा पक्षकारान के मुताविक राजीनामा व मुताविक नजरी नक्शा दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम रेला की सत्यप्रतिलिपि पेश की है।

वहस सुनी गयी पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी वावत वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य स्वेच्छा व सहमति से राजीनामा हो गया है तथा विवादित आराजी को घरू तौर पर बांट लिया है इसी अनुसार काविज रहकर काश्त कर रहे है। पक्षकारान ने अदालत श्रीमान में राजीनाम पेश कर तस्दीक कराया है तथा राजीनामा के साथ नजरी नक्शा पेश किया है मुताविक राजीनामा व नजरी नक्शा के दावा डिक्री कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजीनामा रेकार्ड राजीनामा व नजरी नक्शा का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 की शामलात खातेदारी में दर्ज है। लेकिन वादी एवं प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी का घरू तौर पर मुताविक नजरी नक्शा बांट लिया है। जिस राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी का तकासमा कराने व दावा वादी डिक्री किये जाने में सहमत है। अतः दावा वादी मुताविक राजीनामा व नजरी नक्शा के डिक्री योग्य पाया जाता है।

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः दावा वादी मुताविक राजीनामा एवं नक्शा नक्शा के डिक्री किया जाकर आराजी वाके ग्राम रेला में खसरा नम्बर 356/1 रकवा 0.32 हे. प्रतिवादी संख्या 3 लगा0 5 को , खसरा नम्बर 356/2 रकवा 0.32 हे. वादी संख्या 1 को , उसके बाद खसरा नम्बर 356/3 रकवा 0.31 हे. प्रतिवादी संख्या 2 को, उसके बाद खसरा नम्बर 356/4 रकवा 0.31 हे. तरफ दक्षिण प्रतिवदी संख्या 1 को मुताविक नजरी नक्शा ~~होम~~ एवं। खसरा नम्बर 389/1 रकवा 0.33 हे. प्रतिवादी 1 को, खसरा नम्बर 389/2 रकवा 0.32 हे. वादी 1 को, खसरा नम्बर 389/3 रकबा 0.32 हे. प्रतिवादी 3 लगा0 5 को, खसरा नम्बर 389/4 रकबा 0.33 हे. प्रतिवादी 2 को तकसीम में दिया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 31.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.32 हे. वादी 1 को, खसरा नम्बर 389/3 रकबा 0.32 हे. प्रतिवादी 3 लगा0 5 को, खसरा नम्बर 389/4 रकबा 0.33 हे. प्रतिवादी 2 को तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 31.05.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner